

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937

No. 8]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 8(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी वित्त अधिकारी के पद के संबंध में भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौजूद भर्ती नियमों में मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (प्रशासन एवं भंडार) और वित्त अधिकारी के भर्ती नियम, 1979 से संबंधित क्रम सं. 2 में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को समाप्त करते हैं।

[सं. ए-12026(ii)/5/2005 स्था. I]

ए. के. शर्मा, मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक
(प्रशासन एवं भंडार)

टिप्पणी: मुख्य भर्ती नियम भारत का राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(1) में दिनांक 02.01.1980 को सा.का.नि. सं. 69 के अंतर्गत फाइल सं.एम.ई-11013/4/77-एम (पी टी) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF EARTH SCIENCES**(India Meteorological Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2015

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby deletes all entries against Serial No. 2 relating to the post of Finance Officer from the existing India Meteorological Department Recruitment Rules to the post of Deputy Director General of Meteorology (Administration & Stores) and Finance Officer Recruitment Rules 1979.

[No. A- 12026(ii)/5/2005-E.I]

A. K. SHARMA, Dy. Director General of Meteorology
(Admin. & Stores)

Note : The principal R/Rule was published in Part-II Section-3, Sub Section (i) of Gazette of India on 2.1.1980 under G.S.R. No. 69 vide File No. ME -11013/4/77-M(pt).